No. 3/52/2012-Adm. भारत सरकार Government of India गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

फोन-EPABX: 011-2436 5009/ 2330/ 0371

फेक्स Fax No. 011-2436-2425 and 011-2436 9825

ब्लाक-11, 3/4 तल, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 Block No. XI, 3<sup>rd</sup> Floor CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110 003

दिनांक: Dated January ,2015

To

1. All the Secretaries Government of India, as per list attached.

All the Chief Secretaries/Administrators of States/UTs as per list attached.

All the Heads of CPOs//CAPFs.
All the DGP/IGP of States/UTs.

Sub: Filling up of one post of Legal Assistant, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial in the Scale of Pay of PB-2 Rs.9300-34,800 plus Grade Pay Rs. 4,200/-in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi on deputation basis/Deputation or Reemployment for Armed Forces Personnel.

\*\*\*\*

Sir,

One post of Legal Assistant, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial in the Scale of Pay of PB-2 Rs.9300-34,800 plus Grade Pay Rs. 4,200/-in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi under BPR&D cadre are proposed to be filled up on deputation basis/Deputation or Reemployment for Armed Forces Personnel basis. The brief details are as under:-

J. J. (4)

(a) No. of Post

One

(b) Place of posting

New Delhi

2. Following are the eligibility conditions:

Dated Charles No. (a) (i)

Deputation

Officers under the Central Government and State Governments:-

Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department

OR

(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of PB-1 Rs.5200-20,200 plus Grade Pay Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department

Possessing the following educational qualification and experience:-

Bachelor's degree in Law from a recognised university or equivalent,

Two years' experience in legal work.

10(2)

(5) of 1

US PANIC

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

11111

ब्लाक-11, 3/4 मंजिल, लोदी रोड़ केन्द्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली-110003 दिनांक : जनवरी, 2015

सेवा में

1. सभी सचिव (संलग्न सूची के अनुसार) ।

- 2. सभी राज्यों/संघ राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों (संलग्न सूची के अनुसार) ।
- 3. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख

4. सभी राज्यों/संघ राज्यों के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक

विषय : पुलिस अनुसंघान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में विधि सहायक, ग्रुप-ख, अराजपत्रित, गैरसचिवीय, वेतनमान पीबी-2 रू० 9300-34,800/-के साथ ग्रेड पे 4200/-) के एक पद को प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन आधार पर भरने के संबंध में ।

महोदय,

पुलिस अनुसंघान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में संवर्ग के अधीन विधि सहायक, समूह-ख, अराजपत्रित, गैरसंचिवीय वेतनमान पीबी-2 रू० 9300-34,800/-के साथ ग्रेड पे 4200/- के एक पद को प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है -

क. पद की सं0

एक

ख. तैनाती का स्थान

नई दिल्ली

2. पात्रता से संबंधित शर्तें निम्नानुसार है-

ः प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय /राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जो

(क) (i) अपने मूल कैंडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो,

अथवा

- (II) अपने मूल कैंडर/विभाग में वेतनमान पीबी--1 रू० 5200-20,200/-के साथ ग्रेड पे 2800/-) अथवा समतुल्य वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों,
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में रनातक डिग्री अथवा समतुल्य

विधि कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे मेजर या समतुल्य की पंक्ति के कार्मिक जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, पर भी विचार किया जाएगा । यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसा उपयुक्त अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है या उसे रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (पुनर्नियोजन सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु, तक)

## Deputation or Re-employment for Armed Forces Personnel

The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts)

- 3. The detailed eligibility conditions, experience are enclosed herewith. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceed 56 years as on the closing date for receipt of application. The details including Prescribed Proforma and eligibility conditions etc. are also available on on BPR&D website: <a href="www.bprd.nic..in">www.bprd.nic..in</a>. -"Administration Notices".
- 4. It is requested that the applications of the suitable and willing officers may kindly be sent to the Director General, Bureau of Police Research & Development on the address indicated above within a period of 2 months from the date of issue of this letter.
- 5. The applications received after due date will only be considered after examining the circumstances and reasons for delayed receipt of the same.

Yours faithfully,

(डा० स. कार्तिकयन

(Dr. S. Karthikeyan) सहायक निदेशक (प्रशा0)

Assistant Director (Admn.) 🕾 24362401 फेक्स/Fax No. 24369825

Encl: As above

- 3. पद की पात्रता/शर्ते, अनुभव तथा अपेक्षित कार्यों से संबंधित विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । पद की पात्रता/शर्ते व निर्धारित प्रपत्र तथा विस्तृत ब्योरा पु.अनु.वि.ब्यूरो की वैबसाइट डब्लूडब्लू.डब्लू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन- 'एडिमिनिस्ट्रेशन नोटिस' पर उपलब्ध है ।
- 4. अनुरोध है कि इच्छुक और योग्य अधिकारियों के आवेदन महानिदेशक,पुलिस अनुरांघान एवं विकास ब्यूरों के नाम से इस पन्न के जारी होने के 2 माह के अंदर उपरोक्त पते पर भेज दें ।
- 6. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर केवल परिस्थितियों के मद्देनजर ही विचार किया जाएगा ।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्त

( डा.एर्सं.कार्तिकेयन ) सहायक निदेशक (प्रशा.) फोन नं.24362401फैक्स-24369825

ANNEXURE - I

1. Name of the post

Legal Assistant

2. Scale of Pay

PB-2 Rs.9300-34,800 plus Grade Pay

Rs. 4,200/-

3. Ministry / Department

Bureau of Police Research & Development, MHA

4. Eligibility

Deputation

Officers under the Central Government and State Governments:-

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department

OR

- (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of PB-1 Rs.5200-20,200 plus Grade Pay Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department
- (b) Possessing the following educational qualification and experience:-

Bachelor's degree in Law from a recognised university or equivalent,

Two years' experience in legal work.

## Deputation or Re-employment for Armed Forces Personnel

The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts)

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 / the date from which revised pay structure based on the six Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years. as on the closing date of receipt of applications)

1. पद का नाम

: विधि सहायक

2. वेसनमान

· पीबी-2 रू० 9300-34,800/-के साथ ग्रेड पे 4200/-

3. मंत्रालय/विभाग

ः पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय

4. पात्रता

ः प्रतिनियुक्ति

केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जो

- (क) (i) अपने मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो, अथवा
  - (II) अपने मूल कैंडर/विभाग में वेतनमान पीबी--1 रू० 5200-20,200/-के साथ ग्रेड पे 2800/-) अथवा समतुल्य वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों,
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हों :-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा समतुल्य । विधि कार्यों का 2 वर्ष का अनुभव

## सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन

सशस्त्र बलों के जूनियर रेंक कमीशन्ड अधिकारी अथवा समतुल्य रेंक के ऐसे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हो तथा जो एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों, के नामों पर भी विचार किया जा सकता है । यदि ऐसे अधिकारी का चयन होता है तो वह अधिकारी जिस तिथि से सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होगा तब तक के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर रहेगा तत्पश्चात वह पुनर्नियोजन आधार पर नियुक्त होगा । ऐसे उपयुक्त अधिकारी जो उक्त पद के लिए वास्तविक चयन से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा रिजर्व में स्थांतारित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर (पुनर्नियोजन की आयु सिविल पदों के संदर्भ में सेवानिवृत्ति वाली होगी) की जाएगी।

नोट । - प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 01 जनवरी,2006 या वह तारीख जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आधारित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है आयोग की सिफारिशों के आधार तत्समान ग्रेंड वेतन/वेतनमान में की गई समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व संसोधित वेतनमान को एक समान ग्रेंड वेतन/वेतनमान में एक साथ समायोजित किया गया है और जहां फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेंड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेंड है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए अधिकतम आयु इस कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ) Application for appointment to the post of Legal Assistant in the Bureau of Police Research & Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi on deputation basis/Deputation or Reemployment for Armed Forces Personnel.

1.	Name and Address (in Block letters)	:	;							
2.	Date of Birth (in Christian era)	:	:							
3.	Date of retirement under Cen	Rules :								
4.	Educational Qualification	:	:							
5.	Whether Education and other qualification required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same.)									
		Qualification/E Required	n/Experience Qualification /Experie possessed by the office							
	Essential	(1)								
	\$	(2)								

6. Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.

Desired

(3)

(1)

(2)

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature. If the space below is in sufficient.

S.No.		Name	of	the	From	То		Nature of Duties
	office/Department	post					Basic Pay	(in detail)
		<u> </u>					L	

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय,नई दिल्ली में विधि सहायक के पद को प्रतिनियुक्ति, सशस्त्र बलो के कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने संबंधी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र -

1.	नाम	व	पता	•
	(बडे	37	क्षरों	में)

 जन्मतिथि (ईसवी सन् में)

3. केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तारीख

4. शैक्षिक योग्यता

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूर्ण हैं (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित योग्यता के समतुल्य मानी गई हो तो उसके प्राधिकारी का नाम बताएं) :

<u>अनिवार्य</u>	(1) (2) (3)		अपेक्षित अनुभव/ <u>योग्यता</u>	अधिकारी द्वारा प्राप्त <u>अनुभव/योग्यता</u>
वांछनीय	(1) (2)	,		

- 6. कृपया बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं :
- 7. क्रमानुसार नियुक्तियों का ब्यौरा, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विधिवत अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें : -

क्र.सं	कार्यालय/विभाग					
7. \		पद का नाम	से	तक	वेतनमान तथा	कार्य का स्वरूप
	का नाम				मूल वेतन	(विस्तार से)
·						
	;					
						:

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप जैसे तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थाईवत् अथवा स्थायी

- 8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi Permanent or Permanent.
- 9. In case the present employment is held on deputation/contract basis please state:-
  - (a) The date of initial appointment.
  - (b) Period of appointment on deputation/contract.
  - Name of the parent office/organization to which you belong.
- 10. Additional details about present employment

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column.)

- (a) Central Govt.
- (b) State Govt.
- © Autonomous Organisation
- (d) Government Undertaking
- (e) Universities
- (f) Other.
- 11. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.
- 12. Are you in Revised Scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.
- 13. Total emoluments per month now drawn.
- 14. Additional information, if any, which you would like to mention in support of you suitability for the post.

This among other things may provide information with regard to:-

- (i) Additional Academic qualifications.
- (ii) Professional training and
- (iii) Work experience over and above prescribed in the vacancy circular/advertisement)(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)

- 9: ्यदि वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/करार आधार पर धारण किए हों तो कृपया बताएं ---
  - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
  - (ख) प्रतिनियुक्ति/करार पर नियुक्ति की तारीख
  - (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :
- 10. वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में से किस में कार्यरत हैं :
  - (क) केन्द्रीय सरकार
  - (ख) राज्य सरकार
  - (ग) स्वायत्त संगठन
  - (घ) सरकारी उपक्रम
  - (ड.) विश्वविद्यालय
  - (च) अन्य
- 11. कृपया बताएं कि क्या आप इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।
- 12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां तो तारीख दें कि कब से संशोधन हुआ और संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें:
- 13. प्रतिमाह ली जाने वाली कुल परिलब्धियां
- 14. अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी : उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। इनमें से कुछ अन्य विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है :
  - (i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता
  - (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं
  - (iii) उपरोक्त रिक्त पद के लिए निर्धारित परिपत्र/विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव ।

( नोट - यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है )

- 15. कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे । गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल लघु अवधि अनुबंध के लिए पात्र हैं ।)
- 16. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं।
- 17. क्या आप सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध या पारसी से संबंधित है ।
- 18. टिप्पणी (अभ्यर्थी को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनका कोई
  - (i) अनुसंधान पत्र, रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना प्रकाशित हुई है :
  - (ii) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/अधिकारिक प्रशंसा :
  - (iii) व्यावसायिक ईकाई/संस्थानों/संस्थाओं से मान्यता तथा
  - (iv) अन्य कोई सूचना :

( नोट - यदि स्थान प्रयोप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है )

- Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment basis. (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of Non-Government Organisations are eligible only for short term contract)
- Whether belongs to SC/ST/OBC.
- 17. Whether belongs to minority communities notified by the Government, namely Muslims, Christrians, Sikhs Budhists or Zorosatrians (Parsis).
- 18. Remarks (The candidates may be indicate information with regard to
  - (i) Research publications and reports and special projects.

(ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation

iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and

Countersigned

(iv) Any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient) .

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by Selection Committee at the time of selection for the post.

( Signature of the applicant)
Address
Telephone No.
Mobile No.

(Employer with Seal)	
LEMPIOVER With Seall	
(whipiojoi will boal)	

Certificate to given by Head of Office of the applicant:

- 1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
- 2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from the vigilance angle.

3. His/Her integrity is certified.

- 4. It is certified that no major or minor penalties have been imposed on the officer during the last 10 years.
- 5. His/Her complete ACRs dossier/Attested photo copies of the ACRs (on each page) by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India are enclosed.

6. It is certified that no court case is pending against the applicant.

7. It is certificate that officer, if selected, will be relieved immediately to join the post.

(Head of Office)
Name:
Telephone No.
Fax No.
With office Seal

मैंने उपरोक्त पद के लिए दिए गए परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखा है। मेरे द्वारा दिया गया आत्मवृत्त विवरण तथा संबंधित प्रलेखों के बारे में पूरी तरह की जानकारी रखता हूं तथा चयन के समय चयन समिति द्वारा अपेक्षा करने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

		भ्यथी के	_	•									
	फ्	जेन न.					 	 	 •••	 		 	
		ोबाइल											
	τ	ाता	<b>.</b>				 	 	 ٠.	 		 ٠.	٠.
	प्रति हस्ता	भर					 	 	 	 	٠.	 	
(1	नियोक्ता)	मोहर व	<u>,</u>	साः	थ	•••	 	 	 	 		 	
ना :	प्रमाणा-पन्न												

आवेदक के कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है ।
- 2. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय जांच लंबित/अवेक्षित नहीं है तथा वह सतर्कता की दृष्टि से ठीक है ।
- 3. वह सत्यनिष्ठ है I
- 4. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों में उसको कोई छोटा/बड़ा दंड नहीं दिया गया है I
- 5. आवेदक की अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें/ गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां (प्रत्येक पृष्ठ) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक के स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न हैं।
- 6. यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई न्यायालयिक प्रक्रिया लंबित नहीं है ।
- 7. यह प्रमाणित किया जाता है कि चयन होने पर अधिकारी को पद ग्रहण करने के लिए तत्काल कार्यमुक्त किया जाएगा ।

(कार्यालय प्रमुख) नाम-टेलिफोन नं0-फैक्स नं0-कार्यालय मोहर के साथ